



नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा

(सम्बन्धित : सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा)

प्रादेशिक मुख्यालय : नगर निगम कर्मचारी यूनियन कार्यालय
नजदीक नगर निगम मुख्यालय, बी.के. चौक, एन. आई. टी. फरीदाबाद (हरियाणा) - 121001

E-mail : npks.haryana@gmail.com

माणेराम तिगरा

महासचिव

गांव तिगरा, वाल्मीकि बस्ती, पोस्ट नाहरपुर,
तहसील जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
मो 0 : 8708455761, 8930909412

नरेश कुमार शास्त्री

राज्य प्रधान

म. नं. 329, कल्याणपुरी, एन. एच. 3,
एन. आई. टी. फरीदाबाद, हरियाणा
मो 0 9540669779, 8750505741

क्रमांक : न.पा.क.सं.ह./S.P.C.-7a/2026

दिनांक 22/10/26

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

विषय :-

बिजली कर्मचारियों की 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित हड़ताल के मुद्दों का समाधान करने तथा समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस संबंधी फैसले को निरस्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत एवं विधायी कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, आपका ध्यान गुरुग्राम एवं नूंह जिलों में इलेवन पावर कंपनी को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने संबंधी मामले की ओर आकर्षित करना चाहता है। संघ का स्पष्ट मत है कि बिजली जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवा में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने से सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तथा आम उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होने की आशंका है।

सरकार सार्वजनिक बिजली व्यवस्था की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ठोस निर्णयों के माध्यम से प्रदर्शित करे। केवल आश्वासन देने के बजाय समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस संबंधी फैसले को वापस लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सभी नीतिगत एवं कानूनी विकल्पों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आवश्यकता होने पर विधानसभा में विधेयक लाने सहित विधायी उपाय अपनाए जाएं।

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा, बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित हड़ताल का पुरजोर समर्थन करता है। बिजली क्षेत्र के निजीकरण का प्रश्न कर्मचारियों की नौकरी और सेवा शर्तों के साथ-साथ किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों तथा अन्य उपभोक्ताओं को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करवाने से भी जुड़ा है।

वर्तमान परिस्थितियों में केवल पत्राचार और परिणामहीन बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को तत्काल सार्थक वार्ता करके ठोस निर्णय लेने चाहिए, ताकि टकराव समाप्त हो और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

22-10-26

संघ की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :

1. गुरुग्राम एवं नूंह जिलों में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने संबंधी फैसला निरस्त किया जाए। इसके लिए सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए तथा जरूरत पड़ने पर विधायी कार्रवाई की जाए।
2. स्मार्ट मीटर लगाने तथा अलग कृषि बिजली वितरण निगम एग्री-डिस्कॉम बनाने जैसी नीतियां वापस ली जाएं। उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों से जुड़े नीतिगत निर्णय उनके प्रतिनिधियों से विचारविमर्श करके लिए जाएं।
3. सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक संस्थानों को पर्याप्त बजट, आवश्यक संसाधन और कर्मचारी उपलब्ध करवाकर मजबूत किया जाए।
4. सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर बेरोजगार युवाओं की नियमित भर्ती की जाए और कार्यभार के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं।
5. हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। इसके माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित सरकारी विभागों में समायोजित किया जाए। सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लागू कानूनों एवं न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप दो वर्ष की सेवा के आधार पर नियमितीकरण की नीति बनाई जाए।

महोदय, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े निर्णयों का व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों की मांगों का समयबद्ध समाधान करे और आम जनता के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।

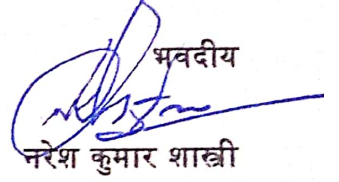
अतः आपसे आग्रह है कि इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं, बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के प्रतिनिधि संगठनों से निर्णायक वार्ता करें तथा समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस संबंधी फैसले को निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करवाएं। विधानसभा में विधेयक लाने सहित उपलब्ध वैधानिक उपायों पर स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय लिया जाए।

पृष्ठ 3 जारी

यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया और आंदोलन आगे बढ़ा, तो उससे उत्पन्न जनपरेशानियों की नैतिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी।

हमें आशा है कि आप जनहित को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल ठोस कार्रवाई करेंगे।

धन्यवाद।

 भवदीय
नरेश कुमार शास्त्री

राज्य प्रधान

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा
संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
3. माननीय बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
4. राज्य प्रधान/महासचिव सर्व कर्म चारी संघ हरियाणा।
5. राज्य प्रधान/महासचिव, ऑल हरियाणा पॉवर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन।